तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 21.03.2025 को पेश हो।
21.03.2025	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। प्रकरण पंजिका नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 05/2018 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 18.01.2018 — श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी स्व0 श्री कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण
2. रमेश आ0 स्व0 स्व0 श्री कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण
3. जगमोहन आ0 स्व0 श्री कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण
4. रूपचन्द आ0 स्व0 श्री कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण
5. तेजेश आ0 स्व0 श्री कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण
6. हेमन्त आ0 स्व0 श्री कल्याण जाति जांगिड ब्राह्मण
7. शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री कल्याण एवं पत्नी श्री सत्यदेव जाति जांगिड ब्राह्मण
8. संतोष पुत्री स्व0 श्री कल्याण एवं पत्नी श्री शंभूदयाल जाति जांगिड ब्राह्मण
9. गुड्डी पुत्री स्व0 श्री कल्याण एवं पत्नी श्री रामावतार जाति जांगिड ब्राह्मण
10. विनय आ0 स्व0 श्री जितेन्द्र जाति जांगिड ब्राह्मण
11. जयदेव आ0 स्व0 श्री जितेन्द्र जाति जांगिड ब्राह्मण
12. पूजा पुत्री स्व0 श्री जितेन्द्र जाति जांगिड ब्राह्मण
13. सावित्री बाई पत्नी स्व0 श्री जितेन्द्र जाति जांगिड ब्राह्मण निवासीगण सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। –प्रार्थिगण

बनाम

1. सुनिता पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल एवं पत्नी श्री रमेश कुमार जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी पुलिस चौकी के पास, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. गायत्री पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल एवं पत्नी श्री महेश जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बपावर रोड, सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान।
3. श्रीमती कांतिबाई पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बपावर रोड, सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। –अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1.श्री धीरज जैन – अधिवक्ता प्रार्थिगण

2. श्री सत्यप्रकाश शर्मा, श्री राजेन्द्र जैन – अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1(एकपक्षीय कार्यवाही)

3. अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही) – अप्रार्थिगण 2 लगायत 4

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मेज सं 114

दिनांकः—21.03.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 124 पुरानी 119 की खसरा संख्या 154 रकबा 1.70है0, खसरा संख्या 155 रकबा 2.77है0, खसरा संख्या 166 रकबा 0.49है0 कुल किता खसरा नम्बरान की कुल रकबा 4.96है0 वाके ग्राम सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि स्व0 श्री रामजीलाल एवं श्री कल्याण पिसरान श्री नाथूलाल जाति जांगिड ब्राह्मण निवासीगण सुमेरगंजमण्डी जिला बून्दी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। उक्त वाद ग्रस्त भूमि पूर्व में रामजीलाल, कल्याण पि0 नाथूलाल के खाते में दर्ज थी। श्री रामजीलाल एवं श्री कल्याण दोनों का देहान्त हो चुका है। श्री कल्यण जी की मृत्यु दिनांक 18.01.2015 को हुई है एवं प्रार्थिगण सभी स्व0 श्री कल्याण जी के वैध वारिसान है। श्री रामजीलाल एवं श्री कल्याण जी की मृत्यु होने पर प्रार्थिगण बतौर वसीयतनामा दिनांक 04.09.2003 बहक श्री कल्याण के आधार पर वादग्रसत कृषि भूमि में मृतक रामजीलाल के निहित 1/2 हिस्से के स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुके है एवं इस प्रकार प्रार्थिगण सम्पूर्ण कृषिभूमि के एकमात्र काबिज काश्त मालिक स्वामी है जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई हक अधिकार किसी प्रकार प्राप्त नहीं है। श्री कल्याण जी ने अपने जीते जी अपने पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर राजस्व अधिकारियों से उपरोक्त कृषिभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामजीलाल का फौती नामान्तकरण अपने नाम खौलने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थिगण द्वारा अनावश्यक विरोध करने के कारण नामान्तकरण नहीं खोला गया। अप्रार्थिया संख्या 1 ने श्री कल्याण जी के विरूद्ध उपरोक्त भूमि बाबत एक अधिकार घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें भी श्री कल्याण जी द्वारा अपने जवाब के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया गया था परन्तु उक्त दावा 17/दावा/2010 बउनवान सुनिता बाई बनाम कल्याण वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी कैम्प इन्द्रगढ़ में दिनांक 08.09.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थिगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त कृषिभूमि में मृतक श्री रामजीलाल के हिस्से की कृषिभूमि पर प्रार्थिगण को वसीयतनामा दिनांक 04.09.2003 के अनुसार मृतक श्री कल्याण जी के वैध वारिसान के रूप में अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाये एवं राजस्व रेकार्ड में रामजीलाल के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाकर अप्रार्थिगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावाये। वाद के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 कभी भी प्रार्थिगण के हक व अधिकार मालिकाना स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषिभूमि में प्रार्थिगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर सकती है एवं जबरन कब्जा कर प्रार्थिगण को बेदखल कर सकती है एवं वादग्रस्त कृषिभूमि में अप्रार्थी संख्या 4 की सहायता अपने नाम रामजीलाल का फौती इंतकाल खुलवा कर कृषिभूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित कर सकती है। प्रार्थिगण का मुकदमा प्रथम दृष्ट्या सही एवं प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिगण के पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थिगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

2/4

अप्रार्थिगण के बनिस्पत प्रार्थिगण को तुलनात्मक रूप से अत्यधिक कठिनाई एवं अपूरणीय क्षति होगी। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को ताफैसला मूल वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त कृषिभूमि में प्रार्थिगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें, प्रार्थिगण को जबरन बेदखल ना करें एवं अप्रार्थी संख्या 4 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त कृषिभूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करें एवं अप्रार्थिगण मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री सत्यप्रकार शर्मा एवं श्री राजेन्द्र जैन ने वकालतनामा दिनांक 14.09.2018 को पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 1 को जवाब पेश करने बाबत समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं कर स्वयं व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनका जवाब बंद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थना पर प्रार्थिगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि उक्त वादग्रस्त भूमि का 1/2 भाग श्री रामजीलाल आ0 श्री नाथूलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। श्री रामजीलाल का देहान्त दिनांक 04.10.2003 को हुआ है। स्व0 श्री रामजीलाल ने वादग्रस्त कृषिभूमि में अपने सम्पूर्ण 1/2हिस्से बाबत् दिनांक 04.09.2003 को 100/—रूपये के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर अपने भाई स्व0 श्री कल्याण आ0 श्री नाथूलाल जी के पक्ष में रूबरू गवाहान वसीयत निष्पादित की थी एवं अपने बाद अपने हिस्से की कृषि भूमि का वारिस स्व0 श्री कल्याण जी को घोषित किया था। वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषिभूमि पर कल्याण जी आजीवन काबिज काश्त रहे एवं श्री कल्याण जी की मृत्यु के बाद प्रार्थिगण उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषिभूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 वाद ग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 4 की मदद से नाम फौती इन्तकाल खुलवाकर प्रार्थिगण को वाद ग्रसत आराजी से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। वादग्रसत आराजी पर प्रार्थिगण काबिज काश्त है। प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थिगण का केस प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिगण के पक्ष में है। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

हमने प्रार्थिगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी, वसियतनामा दिनांक 04.09.2003 की प्रतिलिपि, सरपंच, ग्राम पंचायत सुमेरगजमण्डी के प्रमाण पत्र व प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन करने से प्रार्थिगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को समर्थन मिलता है। प्रार्थिगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वाद ग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा होना बताया है तथा पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपार्ट की प्रतिलिपि में भी प्रार्थिगण के पिता स्व0 श्री कल्याण जी का उक्त प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पत्रावली में प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

3/4

प्रार्थीगण निम्न निवेदन करते है :—

क्रमशः .....

(के संबंध में कोई खण्डन हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यदि मूल वाद के विचारण के दौरान अप्रार्थी सं 4 की मदद से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम फौती इन्तकाल खोल दिया जाता है तथा प्रार्थिगण को जबरन प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थिगण को अपूरणीय क्षति कारित होना स्वभाविक है। प्राथमिक दृष्ट्या उक्त प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष प्रमाणित है। हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को ताफैसला मूल वाद तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे कृषिभूमि खाता संख्या नई 124 पुरानी 119 की खसरा संख्या 154 रकबा 1.70है0, खसरा संख्या 155 रकबा 2.77है0, खसरा संख्या 166 रकबा 0.49है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.96है0 वाके ग्राम सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर से प्रार्थिगण को जबरन बेदखल नहीं करें, न ही अपने किसी प्रतिनिधि से ऐसा कृत्य करावें तथा उक्त वाद ग्रस्त आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को लिखवाया जाकर खुल इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)